

कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी0ई0जी0एस0 उन्नाव।


संख्या- 754 / डी0ई0जी0एस0 / 2016

दिनांक-04 अगस्त, 2016

समस्त लोकवाणी केन्द्र संचालक
जनपद-उन्नाव


आप द्वारा जनपद में लोकवाणी केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी से कराना होता है। उक्त सभी लोकवाणी केन्द्रों के अनुबन्ध प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर में समाप्त होकर नये वर्ष हेतु माह जनवरी से माह दिसंबर तक विगत तीन वर्षों से स्वतः ही नवीनीकरण होता रहा है, किन्तु नवीनीकरण के साथ प्रत्येक लोकवाणी संचालक को नवीनीकरण शुल्क के रूप में लोकवाणी समिति उन्नाव के खाते में 1000 रूपये प्रत्येक वर्ष के नवीनीकरण शुल्क हेतु जमा किया जाना था जो कि अभी तक किसी भी लोकवाणी संचालक द्वारा जमा नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विगत तीन वर्षों का नवीनीकरण शुल्क रूपये 3000/- मात्र लोकवाणी समिति उन्नाव के खाता सं-30432489279 में जमा कर उक्त भुगतान की रसीद डी0ई0जी0एस0 कार्यालय में एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बिलम्ब की दशा में सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित लोकवाणी केन्द्र संचालक का होगा एवं ऐसी स्थिति में उक्त लोकवाणी केन्द्र को नये आवेदन करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।


सौम्या अग्रवाल
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी
उन्नाव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डी.आई.ओ एन.आई.सी. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित की सम्बन्धित लोकवाणी केन्द्र संचालकों से समन्वय स्थापित कर नवीनीकरण शुल्क जमा कराये अन्यथा की स्थिति में उक्त लोकवाणी केन्द्रों को नये आवेदन करने से प्रतिबन्धित करना सुनिश्चित करें।


सौम्या अग्रवाल
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी
उन्नाव।